31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का सारांश

प्रस्तावना

यह सारांश 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों राज्य के वित्त, राजस्व क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) तथा सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के महत्वपूर्ण विषयों की झलक प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों में हिमाचल प्रदेश सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम सम्मिलित हैं। अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, जो इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके निपटान हेतु सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों के साथ मामला उठाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए बिंदुओं के साथ-साथ लेखाओं पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्यपाल को भेजते हैं, जो उन्हें विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं।

विधानसभा को प्रस्तुत राज्य सरकार के लेन-देनों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को राज्य के वित्त, सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), राजस्व क्षेत्र के संदर्भ में लोक लेखा समिति को तथा आर्थिक क्षेत्र प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के संदर्भ में लोक उपक्रम समिति को भेजा जाता है। सरकारी विभागों को सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा समीक्षाओं पर स्वयंमेव की गई कार्रवाई की टिप्पणियों, जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई हो, सम्बन्धित समिति को प्रस्तुत करना होता है। समिति कुछ परिच्छेदों/ समीक्षाओं को विस्तृत जांच हेतु चयन करती है तथा उसके उपरान्त उन पर अपनी अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों/ समीक्षाओं के प्रारूप सदैव सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिव को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किए जाते हैं ताकि उन्हें राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर सरकार के विचार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप परिच्छेदों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और सम्बन्धित विभाग की टिप्पणियां लेखापरीक्षा को छः सप्ताह की अवधि के भीतर सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अधिकांश मामलों में विभागों ने प्रारूप परिच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियां प्रस्तुत करने में प्रावधान का पालन नहीं किया।

इस सारांश में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मामलों का केवल सारांशित विवरण सम्मिलित है। यद्यपि हमारा यह प्रयास रहा है कि इस प्रलेख की विषयवस्तु जहां तक सम्भव हो, मूल प्रतिवेदनों जैसा हो तथापि तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रमाणिकता हेतु मूल प्रतिवेदनों का संदर्भ लिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण हेतु सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारियों के नाम और दूरभाष संख्या इस प्रकाशन के पिछले कवर के पार्श्व पृष्ठ पर दिए गए हैं।

विषय सूची

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन	1
2.	राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन	7
3.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) पर प्रतिवेदन	12
4.	सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर प्रतिवेदन	18

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध करवाता है।

प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं अर्थात् 'राज्य सरकार के वित्त', 'वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण' तथा 'वित्तीय रिपोर्टिंग'।

राज्य सरकार के वित्त

राज्य सरकार के वित्त लेखों उचित वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय दोनों से सम्बंधित समस्त लेन-देनों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। सरकारी लेखों में समस्त लेन-देनों के सार के अतिरिक्त, वित्त लेखों में (क) ऋण स्थिति का सार, (ख) राज्य सरकार के ऋण व अग्रिम (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियां तथा (घ) शेषों का सार सम्मिलित है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नवत् हैं:

वित्त लेखों का सारांश

(₹ करोड़)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2014-15	2015-16		2014-15	2015-16
प्रवर्ग -क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	**17,843**	**23,440**	**राजस्व व्यय**	**19,787**	**22,303**
कर राजस्व	5,940 (33)	6,696 (29)	सामान्य सेवाएं	7,604	8,788
कर-भिन्न राजस्व	2,081 (12)	1,837 (8)	सामाजिक सेवाएं	7,451	7,980
संघीय करों/शुल्कों का अंश	2,644 (15)	3,611 (15)	आर्थिक सेवाएं	4,723	5,525
भारत सरकार से अनुदान	7,178 (40)	11,296 (48)	सहायता अनुदान व अंशदान	9	10
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**650**	**--**	**पूंजीगत परिव्यय**	**2,473**	**2,864**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलिया	**41**	**26**	**संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**474**	**463**
लोक ऋण प्राप्तियां	**10,877**	**6,129**	**लोक ऋण की अदायगी**	**8,260**	**3,948**
आकस्मिकता निधि	**--**	**--**	**आकस्मिकता निधि**	**--**	**--**
लोक लेखा प्राप्तियां#	**10,575**	**11,515**	**लोक लेखा संवितरण#**	**8,844**	**10,577**
अथ रोकड़ शेष	**(-) 887**	**(-) 739**	**अन्तिम रोकड़ शेष**	**(-) 739**	**216**
योग	**39,099**	**40,371**	**योग**	**39,099**	**40,371**

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के शुद्ध आंकड़े राज्य संसाधनों के विश्लेषणार्थ लिए गए हैं।

राजकोषीय सुधार पथ

राज्य ने वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटा शून्य तक ले जाने के लक्ष्य को लब्ध कर लिया क्योंकि राज्य राजस्व अधिशेष तक पहुंच गया लेकिन तत्पश्चात् इसे बरकरार नहीं रख पाया तथा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान समस्त तीनों सूचकों अर्थात राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक में भारी घाटे की स्थिति महसूस की गई।

वर्ष 2014-15 के ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय में 13 *प्रतिशत* की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 31 *प्रतिशत* की तीव्र वृद्धि के कारण राजस्व अधिशेष में परिवर्तित होकर ₹ 1,137 करोड़ हो गया।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 के ₹ 4,200 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 2,165 करोड़ हो गया तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.96 *प्रतिशत* था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन/ चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (अर्थात्त् तीन *प्रतिशत*) से नीचे रहा। चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर केन्द्रीय निधि अन्तरण के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में अत्यधिक वृद्धि के कारण वर्ष 2014-15 में ₹ 1,351 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्ष 2015-16 के दौरान अधिशेष (₹ 990 करोड़) में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 1.11.1)

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियों की अनदेखी

2014-15 से इन निधियों को बजट के माध्यम देने के भारत सरकार के निर्देशों के बावजूद, 2014-16 के दौरान निधियां अब भी सीधे ही राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित कर दी गयी। वर्ष 2015-16 के दौरान गत वर्ष की तुलना में प्रत्यक्षतः अन्तरित ये निधियां ₹ 278.55 करोड़ से बढ़कर ₹ 364.57 करोड़ हो गयीं। चूंकि यह निधियां राज्य बजट के बाहर हैं, वित्त लेखे राज्य को केन्द्र सरकार के संसाधनों के निधि प्रवाह की सम्पूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करते हैं।

(परिच्छेद 1.2.2)

पूंजीगत व्यय को कम अधिमान	राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को अधिमान नहीं दिया गया क्योंकि कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय का *प्रतिशत* अनुपात 2014-15 में 10.88 तथा 2015-16 में 11.17 है जोकि 2014-15 में 15.27 तथा 2015-16 में 13.95 के विशेष श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से कम था। यद्यपि इसमें पूर्व वर्ष पर 2015-16 में 0.29 *प्रतिशत* प्वाइंट की मामूली वृद्धि हुई, यह विशेष श्रेणी राज्यों की औसत से 2.78 *प्रतिशत* प्वाइंट तक कम था।
	(परिच्छेद 1.7.1)
सरकारी निवेशों की समीक्षा	2011-16 के दौरान सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों एवं संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में सरकारी निवेशों पर औसत प्रतिफल 4.10 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान अपने उधारों पर 7.89 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर का भुगतान किया।
	(परिच्छेद 1.8.2)
शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ऋणों को संस्वीकृत करना/देना	2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ₹ 18.48 करोड़ की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई थी।
	(परिच्छेद 1.8.3.1)
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय	2015-16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय गत वर्ष की अपेक्षा ₹ 244 करोड़ (3 *प्रतिशत*) घट गया और यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 35 *प्रतिशत* था। चालू वर्ष (₹ 7,950 करोड़) में वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 8,285 करोड़) के प्रक्षेपों के अन्तर्गत था।
	(परिच्छेद 1.6.2)
राजकोषीय देयताओं में वृद्धि और बाजार ऋणों की प्रवृतियां	आठ *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2015-16) की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं ₹ 41,197 करोड़ थी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37 *प्रतिशत* तथा राजस्व प्राप्तियों का 176 *प्रतिशत* थी। राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लोक ऋण का 8 *प्रतिशत* (₹ 2,268 करोड़) आगामी वर्ष में भुगतान योग्य है। 38 *प्रतिशत* (₹ 10,567 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों में भुगतान योग्य है जबकि शेष

54 *प्रतिशत* (₹ 15,075 करोड़) ऋण पांच वर्षों से अधिक समय में भुगतान हेतु अपेक्षित हैं जिससे उस अवधि के दौरान सरकारी बजट पर बोझ पडेगा। यह इंगित होता है कि राज्य द्वारा 7 वर्षों के भीतर 62 *प्रतिशत* ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जो कि एक आरामदायकस्थिति नहीं है और 'ऋण जाल' की तरफ राज्य को धकेल रही है।

राज्य के प्रति व्यक्ति ऋण ने 2011-12 में ₹ 40,904 से 2015-16 में ₹ 57,642 तक बढ़ती प्रवृति दर्शाई (पांच वर्षों के समय में 41 *प्रतिशत* की वृद्धि)। इसमें विगत वर्ष (₹ 53,913) की तुलना में 2015-16 (₹ 57,642) के दौरान ₹ 3,729 (7 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 1.9.2 तथा 1.10.1)

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे विनियोजन लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखा वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखा के सम्पूरक हैं।

2015-16 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

व्यय स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) / आधिक्य (+)
दत्तमत्त					
राजस्व	22,296.08	1,450.86	23,746.94	21,561.76	(-) 2,185.18
पूंजी	2,990.92	289.63	3,280.55	2,883.53	(-) 397.02
ऋण एवं अग्रिम	397.49	34.17	431.66	463.16	31.50
कुल दत्तमत्त	**25,684.49**	**1,774.66**	**27,459.15**	**24,908.45**	**(-) 2,550.70**
प्रभारित					
राजस्व	2,998.51	161.26	3,159.77	3,198.94	39.17
पूंजी	--	40.56	40.56	41.02	0.46
लोक ऋण-अदायगी	1,502.77	125.79	1,628.56	3,947.73	2,319.17
कुल प्रभारित	**4,501.28**	**327.61**	**4,828.89**	**7,187.69**	**2,358.80**
आकस्मिक निधि (अगर कोई है) से विनियोजन					
	--	--	--	--	--
सकल योग	**30,185.77**	**2,102.27**	**32,288.04**	**32,096.14**	**(-) 191.90**

बचत/आधिक्य

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदानों/ विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 191.90 करोड़ की समग्र बचत/अप्रयुक्त निधियां ₹ 2,848.43 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 3,040.33 करोड़ की बचत का परिणाम थी। वर्ष 2010-15 के लिए ₹ 5,753.78 करोड़ के अतिरिक्त 2015-16 के दौरान ₹ 2,848.43 करोड़ का व्यय आधिक्य विनियमन हेतु अपेक्षित है।

(परिच्छेद 2.2 तथा 2.3.1.1)

अधिक अभ्यर्पण

42 मामलों में ₹ 3,135.63 करोड़ वित्त वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किए गए थे (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित)।

(परिच्छेद 2.3.4.2)

अनुपूरक अनुदान

आठ मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) ₹ 318.46 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्ययमूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुआ। सात मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) ₹ 500.05 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 2,805.32 करोड़ का कुल अनावृत्त आधिक्य व्यय रह गया। इस अनावृत्त आधिक्य में से वित्त विभाग द्वारा ₹ 2,319.17 करोड़ (83 *प्रतिशत*) अनुदान संख्या 29-वित्त (पूंजीगत-प्रभारित) में खर्च किया गया।

(परिच्छेद 2.3.1.4)

अविवेकी पुनर्विनियोजन

अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 48 उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) बचतें/आधिक्य हुआ। इनमें से, 11 उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) आधिक्य/बचतें हुई।

(परिच्छेद 2.3.2)

व्यय का तीव्र प्रवाह

राज्य वित्तीय नियमावली के विपरीत वर्ष 2015-16 के लिए 33 उप-शीर्षों में ₹ 10 करोड़ या अधिक का व्यय जिसमें कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक सम्मिलित है, मार्च 2016 के महीने में किया गया था।

(परिच्छेद 2.3.3)

वित्तीय रिपोर्टिंग

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति उपलब्ध करवाता है।

प्रयुक्ति प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

31 मार्च 2016 तक ₹ 2,225.40 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अनुदानों के सम्बंध में 2,944 प्रयुक्ति प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 3.1)

लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वर्ष 2014-15 के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला के लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जबकि अन्य निकायों के सम्बंध में विलम्ब एक से छः मास के मध्य था। अगस्त 2016 तक वर्ष 2015-16 के लिए सभी 14 निकायों के लेखे उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

(परिच्छेद 3.2)

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित मामलें

राज्य सरकार ने ₹ 78.70 लाख के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि,चोरी आदि के 47 मामलों को सूचित किया जिन पर जून 2015 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 41 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे।

(परिच्छेद 3.4)

अस्थायी अग्रिम का असमायोजन

सरकार ने विभिन्न विभागों में विभिन्न नियमों, क्रियाविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना नहीं की क्योंकि राज्य के विभागों में सितम्बर 2016 तक कुल ₹ 34.38 करोड़ राशि के अस्थाई अग्रिम के 104 मामले समायोजन हेतु लम्बित थे।

(परिच्छेद 3.5)

परिचय

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/ केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, यात्री तथा माल कर और रॉयल्टी के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बंधित ₹ 279.28 करोड़ राजस्व से अंतर्विष्ट 27 परिच्छेद सम्मिलित है। वर्ष के दौरान, सम्बंधित विभाग ने 664 मामलों में ₹ 182.20 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से पूर्ववर्ति वर्ष (471 मामलों में ₹ 15.15 करोड़) तथा वर्ष 2015-16 के परिणामों (62 मामलों में ₹ 7.91 करोड़) से सम्बंधित 533 मामलों में ₹ 23.06 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

सामान्य-राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2015-16 की सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹ 17,843.45 करोड़ की तुलना में ₹ 23,440.48 करोड़ थी। इसमें से 36 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹ 6,695.81 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 1,837.15 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 64 *प्रतिशत* विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 3,611.17 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹ 11,296.35 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया। विगत वर्ष के प्रति राजस्व प्राप्तियों में बढौतरी ₹ 5,597.03 करोड़ थी।

(परिच्छेद 1.1)

लेखापरीक्षा परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग

'आबकारी एवं कराधान विभाग में यात्री व माल कर की वसूली' पर लेखापरीक्षा

आबकारी एवं कराधान विभाग में यात्री व माल कर की वसूली

अप्रर्याप्त प्रर्वतन के साथ महत्वपूर्ण अभिलेखों का निष्कृष्ट अनुरक्षण एवं आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मोटर वाहन पंजीकरण प्राधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण सभी वाणिज्यिक वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने को सुनिश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 84.90 करोड़ के राजस्व का अनुद्ग्रहण/अल्प उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 5.3)

राजस्व विभाग

'सरकारी भूमि को पट्टे पर देना तथा पट्टा राशि की वसूली' पर लेखापरीक्षा

सरकारी भूमि को पट्टे पर देना तथा पट्टा राशि की वसूली

राज्य सरकार उपभोक्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि को पट्टे पर देते समय सांविधिक एवं विनियमित प्रावधानों की अनुपालना एवं लागू करवाने को सुनिश्चित करने में विफल रही। परिणामस्वरूप कुल ₹ 101.80 करोड़ के

राजस्व की अवसूली अथवा अल्प-वसूली हुई। पट्टे के आधार पर किये गए आबंटनों एवं भूमि के केन्द्रीकृत ड़ाटा का अनुरक्षण न करने के कारण पट्टों का उपयुक्त प्रबन्धन एवं अनुश्रवण करने की विभाग की क्षमता कमजोर रही। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित/नवीकृत नहीं किये गए थे,पट्टा राशि को भूमि के प्रचलित बाजारी मूल्य के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार नियत/संशोधित नहीं किया गया तथा विभाग ने सरकार के पक्ष में भूमि को पुर्नग्रहण करवाने अथवा पट्टा विलेखों को निरस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(परिच्छेद 4.3)

लेन-देन लेखापरीक्षा

क. आबकारी एवं कराधान विभाग

(i) बिक्री और व्यापार पर कर/ मूल्यवर्धित कर

पट्टादारों से पट्टा राशि की अवसूली

बिक्री और व्यापार पर कर/ मूल्य वर्धित कर विभाग ने ₹ 51.40 करोड टोल पट्टा राशि को टोल वैरियरों के पट्टादारों से वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

(परिच्छेद 2.3)

कर की गलत दर लागू करना

निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2005-06 से 2013-14 के दौरान नौ व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय पांच से 30 प्रतिशत लागू योग्य दर के स्थान पर चार से 11 प्रतिशत की गलत दर लागू की। परिणामस्वरूप, ₹ 0.54 करोड़ के कर की राशि की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.41 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय योग्य था।

(परिच्छेद 2.4)

अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकृति

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करने तथा कर की छूट/रियायत दर को अनुमत करने के परिणामस्वरूप 15 मामलों में ₹ 47.90 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 41.83 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.5)

प्रवेश कर का भुगतान न करने के कारण राजस्व की हानि

एक व्यापारी ने ₹ 6.91 करोड़ के भुगतान योग्य प्रवेश कर के प्रति ₹ 3.40 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान

	किया, परिणामस्वरूप ₹ 3.51 करोड़ का अल्पोद्ग्रहण हुआ। **(परिच्छेद 2.6)**
सकल बिक्री का गलत निर्धारण	निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 के लिए एक व्यापारी के निर्धारण के दौरान कुल बिक्री से विविध देनदारों की राशि को निकालने के परिणामस्वरूप ₹ 0.83 कारेड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज भी उद्ग्राहय था । **(परिच्छेद 2.7)**
(ii) राज्य आबकारी	
बिक्री केन्द्रों को खोलने पर लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली	29 लाइसेंसधारियों से ₹ 8.59 करोड़ की लाइसेंस फीस की अल्प वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.03 कारेड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था। **(परिच्छेद 3.3)**
न्यूनतम गारंटीड कोटा से कम कोटा उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना	451 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 20,16,928 प्रूफ लीटर शराब को कम उठाने के लिए अतिरिक्त फीस ₹ 5.34 करोड़ का उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.54 कारेड़ की शास्ति भी उद्ग्राहय थी। **(परिच्छेद 3.4)**
लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना	लाइसेंस फीस ₹ 76.39 कारेड़ का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ₹ 99.61 लाख के ब्याज को विभाग द्वारा 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से नही मांगा गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज का अल्प उद्ग्रहण हुआ। **(परिच्छेद 3.5)**
शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की गैर-वसूली	पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक को गणना में न लेने के कारण 252 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹ 43.83 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी। **(परिच्छेद 3.6)**
मद्यनिर्माणशाला/ शराब की भट्ठी/ बॉटलिंग संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ के वेतन की अवसूली/अल्प-वसूली	एक मद्यनिर्माणशाला, एक शराब की भट्ठी तथा दो बोतलीकरण संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ की वर्ष 2014-15 के लिए वेतन के रूप में ₹ 34.77 लाख की राशि लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की गई थी। **(परिच्छेद 3.7)**

देशी शराब के बोतलीकरण पर लाइसेंस फीस तथा ब्याज की अल्प वसूली	दो लाइसेंसधरियों से ₹ 28.75 लाख लाइसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क की अल्प वसूली की गई। परिणामस्वरूप उस सीमा तक के राजस्व की हानि हुई। लाइसेंस फीस/ फ्रैंचाइजी फीस के विलम्बित भुगतान पर ₹ 5.39 लाख का ब्याज भी वसूली योग्य था। **(परिच्छेद 3.8)**
मनोरंजन शुल्क की अवसूली	आबकारी एवं कराधान विभाग ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क उदग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 0.55 करोड़ के राजस्व का परित्याग हुआ । **(परिच्छेद 3.10)**
ख. राजस्व विभाग	
निर्मित ढ़ांचे पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	₹ 10.99 करोड़ के निर्मित ढ़ांचे के लिए गलत बाजारी दर को अपनाने के कारण ₹ 0.79 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण की फीस की अल्प वसूली हुई। **(परिच्छेद 4.4)**
सम्पतियों के बाज़ारी मूल्य का अवनिर्धारण	क्रेताओं द्वारा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्र के आधार पर गलत मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹ 0.56 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 27.94 लाख की शास्ति भी उदग्रहण योग्य थी। **(परिच्छेद 4.5)**
गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क की अल्प वसूली	बिक्री विलेखों के 400 मामलों में स्टाम्प शुल्क की गलत दरों को लागू किये जाने के कारण ₹ 31.87 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प वसूली हुई। **(परिच्छेद 4.6)**
पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	प्रचलित बाजारी दरों को न अपनाने के कारण पट्टा विलेखों पर ₹ 10.64 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई। **(परिच्छेद 4.7)**
ग. परिवहन विभाग	
सांकेतिक कर की अवसूली	विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए 11,018 वाहनों के संदर्भ में ₹ 4.09 करोड़ के सांकेतिक कर (टोकन टैक्स)की न तो मांग की गई

और न ही इन वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 5.4)

प्रयोक्ता प्रभारों को कम जमा करवाना	ई-गवर्नेन्स समितियों ने प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹ 43.02 लाख एकत्रित किये जिसमें से ₹ 10.76 लाख सरकारी खाते में जमा करवाना अपेक्षित था जिसमें से मात्र ₹ 1.79 लाख ही जमा किये गए थे तथा ₹ 8.97 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे। **(परिच्छेद 5.5)**
विशेष पथ कर की अवसूली/अल्प वसूली	विशेष पथ कर ₹ 1.53 करोड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम, निजी स्टेज कैरिजों तथा अन्य राज्यों के स्टेज कैरिजों से वसूल नहीं किया गया था। **(परिच्छेद 5.6)**
घ. वन विभाग	
जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन	विभाग के विभिन्न डिपुओं में निपटान के लिए पड़ी 539.2254 घनमीटर आयतन की इमारती लकड़ी के गैर-निपटान के परिणामस्वरूप ₹ 33.70 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹ 2.79 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ। **(परिच्छेद 6.3)**
रॉयल्टी दरों में गलत दर लागू करने के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा रॉयल्टी के लिए गलत दरों को लागू करने के कारण ₹ 8.30 करोड़ की रॉयल्टी की अल्प वसूली हुई। **(परिच्छेद 6.4)**
वृक्षों की लागत की अवसूली/अल्प वसूली	विभाग ने परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 536 खड़े वृक्षों जिनका आयतन 257.434 घनमीटर था, की लागत ₹ 3.93 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹ 32.50 लाख को प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल नहीं किया था। **(परिच्छेद 6.5)**
विस्तार फीस का अनुद्ग्रहण	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को दोहनार्थ सौंपे गए इमारती लकड़ी के 36 लॉट्स की पट्टावधि को ₹ 17.20 लाख की विस्तार फीस की मांग किये बिना बढ़ाया गया। **(परिच्छेद 6.6)**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-आर्थिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
(2017 का प्रतिवेदन संख्या-2)

इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन सेवाओं के प्रावधान पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और नियमावली, निदेशों एवं प्रक्रियाओं की गैर-अनुपालना के कारण परिहार्य भुगतान, विद्युत प्रभारों की अवसूली/अल्प वसूली व निष्फल व्यय के मामलों से सम्बन्धित ₹ 258.14 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से युक्त 11 परिच्छेद सम्मिलित हैं जिसके परिणामस्वरूप कम्पनियों/निगमों को घाटा हुआ।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में

हिमाचल प्रदेश राज्य में 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (18 सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम) तथा दो अक्रियशील कम्पनियां हैं तथा इनमें 34,457 कर्मी कार्यरत हैं। 31 मार्च 2016 तक 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 10,820.11 करोड़ का निवेश (पूंजी तथा दीर्घावधि ऋण) हुआ था । राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.27 *प्रतिशत* क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 0.73 *प्रतिशत* अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। कुल निवेश का 33.82 *प्रतिशत* पूंजी के रूप में तथा 66.18 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र में था जिसमें 2011-12 (₹ 5,376.56 करोड़) से 2015-16 (₹ 9,527.82 करोड़) के दौरान कुल निवेश के 82.36 *प्रतिशत* से 88.06 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/ इमदादों के प्रति बजटीय निकास जो 2011-12 में ₹ 722.69 करोड़ पर था, वह 2015-16 में ₹ 1,027.70 करोड़ तक बढ़ गया ।

(परिच्छेद 1.1, 1.6, 1.7 एवं 1.8)

लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

राज्य सरकार ने उन वर्षों जिनमें लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है के दौरान 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 809.10 करोड़ का निवेश किया था। लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि, किया गया निवेश तथा व्यय की गणना उचित ढंग से की गयी है और जिस प्रयोजन हेतु राशि का निवेश किया गया था उसे प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इस प्रकार ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया निवेश राज्य विधानमंडल की समीक्षा से बाहर रहता है।

(परिच्छेद 1.11)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार निष्पादन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित के सम्बंध में कम बिक्री के कारण क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री 2011-12 में ₹ 4,990.22 करोड़ से घटकर 2012-13 में ₹ 4,945.29 करोड़ रह गई और पुन: वर्ष 2013-14 में ₹ 5,952.79 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 7,565.74 करोड़ हो गई। राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कुल बिक्री की प्रतिशतता 2011-12 के 7.51 से घटकर 2015-16 में 6.85 रह गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंमें ₹ 18.75 करोड़ का लाभ हुआ और 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 367.73 करोड़ की हानि हुई, जिनमें वो तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित हैं जिन्होंने अपने लेखों को 'लाभ रहित-हानि रहित' आधार पर तैयार किया था। एक क्रियाशील सरकारी कम्पनी (व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) ने अपने लाभ एवं हानि लेखे तैयार नहीं किए हैं, जबकि एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित के सम्बंध में आय से अधिक व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान योग्य है। 2015-16 में बनी हिमाचल कौशल विकास निगम सीमित ने अभी तक अपना पहला लेखा तैयार नहीं किया है। नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त किए लेखों के अनुसार, नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 18.75 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से मात्र तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2014-15 के दौरान ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया। लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के शेष छ: उपक्रमों ने अपने लाभांश घोषित नहीं किये थे और राज्य सरकार को भी इसका भुगतान नहीं किया था।

(परिच्छेद 1.15, 1.16 एवं 1.18)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण

वर्ष 2015-16 के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था, तथापि एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित) ने हिमाचल प्रदेश सड़क एंव अन्य अवसंरचना विकास बोर्ड को ₹ 100 करोड़ की इक्विटी विनिवेशित की थी। राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में

निवेशित सरकारी इक्विटी के विनिवेश हेतु कोई नीति तैयार नहीं की गई।

(परिच्छेद 1.28)

हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन सेवाओं के प्रावधान पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन सेवाओं के प्रावधान पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

परिचय

हिमाचल पथ परिवहन निगम को हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अंतर्गत सितम्बर 1974 में राज्य में यात्रियों को सस्ती, कुशल, विश्वसनीय एवं सुरक्षित परिवहन प्रणाली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। निगम के पास वैट-लीज के अंतर्गत प्रचालित 37 संलग्नित बसों के अतिरिक्त 2014-16 के दौरान जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उपार्जित 781 बसों सहित 31 मार्च 2016 तक 2,827 बसों का बेड़ा था। निगम के बेड़े (गाडियों का समूह) ने प्रतिवर्ष 1853.63 लाख किलोमीटर तय किए जिसमें प्रतिदिन (मार्च 2016) औसतन पांच लाख यात्रियों ने यात्रा की। निगम के बेड़े के अतिरिक्त राज्य के भीतर निजी प्रचालक भी 3,345 बसों (मार्च 2016) का प्रचालन कर रहे हैं। निगम तथा निजी प्रचालकों के मध्य किराया ढांचा एवं मार्ग आवंटन राज्य सरकार द्वारा इसकी परिवहन नीति के अनुसार नियंत्रित एवं अनुमोदित किया जाता है।

(परिच्छेद 2.1)

मार्ग परमिटों का आवंटन एवं नए मार्गों की पहचान

यह सुनिश्चित करने हेतु कोई मानदण्ड निश्चित नहीं किया गया था कि निगम तथा निजी चालकों को कौन-कौन से मार्ग आबंटित किए जाने थे। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि जिला मुख्यालयों एवं पर्यटक स्थलों के मध्य नियमित यात्रियों के अधिकत्तम प्रवाह वाले मार्गों में से मात्र 10 *प्रतिशत* मार्ग आवृत्तियां निगम को और 90 *प्रतिशत* निजी चालकों को आबंटित की गई थी। इसे सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र विद्यमान नहीं था कि निगम एवं निजी चालकों द्वारा अमितव्ययी मार्गों का भार समान रूप से उठाया जा रहा था। आगे, मार्ग परमिट के मूल्य के औचित्य को सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया गया था और वे तदर्थ आधार पर आबंटित किए जा रहे थे।

(परिच्छेद 2.7.1)

प्रदूषण नियंत्रण तथा सुरक्षा — न्यायिक निर्णयों के साथ-साथ गति नियन्त्रों तथा वाहन ट्रेकिंग सिस्टमों के प्रतिष्ठापन से सम्बन्धित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के कमजोर प्रवर्तन और अप्रभावी निगरानी से राज्य में सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण मानकों का अनुरक्षण प्रभावित हुआ।

(परिच्छेद 2.9 एवं 2.10)

वाहन उत्पादकता — 2011-16 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त की गई वाहन उत्पादकता अखिल भारतीय औसत से 16 से 54 किलोमीटर कम रही जिससे निगम ₹ 313.29 करोड़ के संभावित ट्रैफिक राजस्व से वंचित हुआ।

(परिच्छेद 2.14.3)

डेड किलोमीटर — आठ नमूना जांच की गई इकाइयों में अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल दिल्ली तथा पार्किंग स्थल, जगतपुर के मध्य 'डेड किलोमीटरों' के अभिलेखन में अनियमितताओं से मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान अतिरिक्त डेड माइलेज के आधार पर ₹ 2.14 करोड़ का घाटा पाया गया।

(परिच्छेद 2.15.2)

ईंधन लागत — निगम ने 2011-16 के दौरान अखिल भारतीय औसत की तुलना में 498.38 लाख लीटर ईंधन की अधिक खपत की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 240.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.16)

किराया रियायत/छूट के दावे तथा उनकी वसूलियां — राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों हेतु छूट एवं निःशुल्क पासों के लिए निगम को क्षतिपूर्ति देती है। तथापि निगम ने अपने दावे वास्तविक आधार पर न करके मात्र आकलन आधार पर प्रस्तुत किये थे। 2011-16 के दौरान ₹ 1,111.66 करोड़ के कुल आकलित दावों में से राज्य सरकार ने वसूली हेतु शेष ₹ 216.66 करोड़ को छोडते हुए ₹ 895.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति की थी।

(परिच्छेद 2.18)

लेन-देन की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन-देन लेखापरीक्षा प्रेक्षण राज्य की सरकारी कम्पनियों के प्रबंधन में कमियां उजागर करते हैं जिनका गंभीर वित्तीय प्रभाव था। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सार नीचे दिया गया है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा — हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) द्वारा निर्धारित समय के भीतर पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम को पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप परकल्पित घाटा कम करने के लक्ष्यों की अनुपलब्धि के कारण ₹ 73.06 करोड़ के सम्भावित राजस्व की हानि हुई,

इसके अतिरिक्त ₹ 17.92 करोड़ के अनुदान की जब्ती हुई जोकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समय-सारणी के भीतर परियोजनाओं की सफल पूर्णता पर स्वीकार्य था। आगे कम्पनी संविदाकारों से प्रवेश कर काटने में विफल रही और कम्पनी को ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 8.64 करोड़ जमा करवाने होंगे जैसाकि कर प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई थी। कम्पनी ने अपेक्षित औपचारिकताओं जैसे कि संविदा अनुबंध के अनुसार पी0ई0आर0टी0 चार्ट तथा निष्पादन बैंक प्रत्याभूति को प्रस्तुत न करने के आधार पर संविदाकारों से ₹ 2.43 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं की थी और संविदाकारों द्वारा सम्बद्ध निर्माण कार्यों की गैर-समक्रमिकता से ₹ 8.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.1)

विद्युत प्रभारों की अवसूली

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, सरकारी निदेशों में निर्धारित राशि से कम राशि की बैंक प्रत्याभूति स्वीकृत करने और बार-बार की चूकों के बावजूद भी उपचारात्मक कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण ₹ 18.46 करोड़ के विद्युत प्रभारों की वसूली में विफल रहा।

(परिच्छेद 3.2)

औद्योगिक उपभोक्ता को अधिक ब्याज भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित द्वारा एक औद्योगिक उपभोक्ता को ₹ 39.49 लाख की वापसी पर देय साधारण ब्याज के स्थान पर मासिक चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.3)

संविदाकार को अस्वीकार्य भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित द्वारा गैल्वीनाइज्ड ऑयरन तार हेतु किलोग्राम आधार के स्थान पर संख्या आधार पर बोलियों के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 2.55 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.5)

सरकार द्वारा प्रदत्त छूट पर कार्रवाही में विलम्ब के कारण निष्फल व्यय

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित द्वारा अपनी क्षेत्रीय इकाइयों को जल विद्युत परियोजनाओं पर रियल टाइम ऑनलाइन वॉटर डिस्चार्ज मांनिटरिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट के सम्बन्ध में सूचित करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ऐसे उपकरणों जिनकी आवश्यकता नहीं थी, के प्रतिष्ठापन पर ₹ 2.19 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.7)

ठेकेदार के साथ परस्पर समझौते के समय सभी भागों पर विचार करने में विफलता के कारण वसूली न होना	अनुबन्ध में स्पष्ट प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की खरीद से सम्बन्धित चूककर्त्ता फर्म के साथ एक परस्पर समझौता करते हुए वैकल्पिक स्रोत से जोखिम एवं लागत तथा उत्पादन हानि को ध्यान में रखने में हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 81.95 लाख की वसूली नहीं हुई। **(परिच्छेद 3.8)**
लाभार्थियों को ऋणों की स्वीकृति तथा उनकी वसूलियों की लेखापरीक्षा	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम अल्पसंख्यक समुदाय एवं कमजोर वर्गों के पात्र लाभार्थियों तथा दिव्यांगों को सहायता वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। कम्पनी अपेक्षित सरकारी प्रतिभूति का प्रबन्ध न होने के कारण ₹ 1.94 करोड़ के संस्वीकृत ऋण के वितरण में विफल रही और शीर्षस्थ संस्थान द्वारा ₹ 1.20 करोड़ के आवंटन के बावजूद महिला, समृद्धि योजना का कार्यान्वयन नहीं कर सकी थी। आगे, सॉफ्टवेयर में चूककर्ताओं से सामान्य ब्याज की गणना का प्रावधान न होने से ₹ 1.44 करोड़ के ब्याज की अल्प वसूली हुई। **(परिच्छेद 3.9)**
संचरण परियोजनाओं को सौंपने व उनके निष्पादन की लेखापरीक्षा	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित ने परियोजना पर हुए वास्तविक व्यय के संदर्भ के बिना अधिक ऋण निधियों का आहरण किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। लागतों को बांटने के लिए उधार इक्विटी अनुपात के मापदण्डों की गैर-अनुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 3.80 करोड़ प्रति वर्ष की इक्विटी पर प्रतिफल की हानि होगी। आगे ब्याज मुक्त मोबीलाइजेशन अग्रिम को स्वीकृत करने में उदासीन रवैये से ₹ 5.11 करोड़ की ब्याज हानि हुई। **(परिच्छेद 3.10)**
उत्पाद शुल्क का परिहार्य भुगतान	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित की एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई आबकारी शुल्क की छूट का दावा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 36.11 करोड़ के आबकारी शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ। **(परिच्छेद 3.11)**

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर -सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017 का प्रतिवेदन संख्या-3)

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। प्रतिवेदन के अध्याय-1 में लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा, लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन, लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रियांए, इत्यादि सम्मिलित हैं। अन्य दो अध्याय पशुधन के अनुरक्षण/ सुधार हेतु योजनायें, पर्यावरण स्वीकृति एवं स्वीकृति उपरांत अनुश्रवण, राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं रख-रखाव, हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन हेतु तैयारी तथा समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं के परिणामों और गैर-वसूली, निष्फल/ अनुत्पादक/ व्यर्थ व्यय, निधियों के अनियमित आहरण/ संस्वीकृति, इत्यादि से सम्बंधित ₹ 411.61 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 13 परिच्छेदों से सम्बंधित हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

पशुधन के अनुरक्षण/ सुधार हेतु योजनायें

पशुपालन विभाग राज्य में पशुधन के सम्पूर्ण विकास हेतु उत्तरदायी है। विभाग पशुधन के आनुवंशिक सामर्थ्य के विकास, पशुधन रोगों के नियंत्रण व रोकथाम के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाने, चारा प्रबन्धन कार्यप्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है तथा पशुपालन के क्षेत्र में विस्तार सेवाएं भी देता है।

पशुधन के अनुरक्षण/ सुधार हेतु योजनाओं, की निष्पादन लेखापरीक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता, आवंटित निधियों की पर्याप्तता, उनकी प्रयुक्ति की दक्षता एवं प्रभावशीलता, क्षमता निर्माण की पर्याप्तता, भौतिक अवसंरचना एवं मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण, योजना के कार्यान्वयन की अर्थव्यवस्था, दक्षता एवं प्रभावशीलता तथा पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य के साथ की गई थी।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

वार्षिक कार्य योजना

पशुपालन विभाग ने 2011-16 के दौरान पशुधन के अनुरक्षण/ सुधार हेतु योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन नीति का विस्तृत वर्णन करते हुए वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार नहीं किया।

(परिच्छेद 2.1.6.1)

पशुधन प्रजनन नीति

पशुओं में 50 *प्रतिशत* तथा भेड़ों में 75 *प्रतिशत* का विदेशी वंशागति स्तर प्राप्त करने के उद्देश्यों के प्रति विभाग पशुओं तथा भेड़ों में क्रमश: 46 तथा 38 *प्रतिशत* विदेशी वंशागति के स्तर को प्राप्त कर सका था।

(परिच्छेद 2.1.6.3)

मुख्य पशुधन उत्पाद	यद्यपि विभाग द्वारा 2011-16 के दौरान निर्धारित किए गए दुग्ध उत्पादन के लक्ष्यों को अन्ततोगत्वा प्राप्त कर लिया गया था फिर भी राज्य का औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन (11.68 लाख मीट्रिक टन) राष्ट्रीय औसत (13.38 लाख मीट्रिक टन) से 13 *प्रतिशत* कम था।
	(परिच्छेद 2.1.6.5)
निधियों की उपलब्धता एवं प्रयुक्ति	2011-16 के दौरान पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण/पशुधन विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अवमुक्त ₹ 20.21 करोड़ की निधियां कार्यान्वयन अभिकरणों के पास 16 महीनों से दो वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़ी रहीं।
	(परिच्छेद 2.1.10.2, 2.1.14.1, 2.1.15 तथा 2.1.16)
संस्थागत भवनों का निर्माण तथा पशुधन विकास परियोजनाएं	2011-15 के दौरान संस्वीकृत 108 संस्थागत भवनों (₹ 7.44 करोड़) का निर्माण तथा छ: पशुधन विकास परियोजनाओं (₹ 8.95 करोड़) का संचालन नवम्बर 2016 तक अधूरा पड़ा था।
	(परिच्छेद 2.1.10.1, 2.1.14.4, 2.1.14.5 तथा 2.1.17.2)
कृत्रिम गर्भाधान की सफलता दर तथा उपकरणों की उपलब्धता	2011-16 के दौरान गायों में कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उत्पन्न बछड़ों की सफलता दर 39 व 43 *प्रतिशत* के मध्य तथा भैंसों में यह 40 व 45 *प्रतिशत* के मध्य रही जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 50 *प्रतिशत* के प्रोटोकोल के न्यूनतम मानक से कम थी।
	(परिच्छेद 2.1.14.3)

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पर्यावरण स्वीकृति व स्वीकृति उपरांत अनुश्रवण

पर्यावरण प्रभाव आकलन, परियोजना के अनुमोदन से पूर्व उस परियोजना के पर्यावरण सम्बंधी प्रभावों की पहचान करने की एक प्रक्रिया है। पर्यावरण प्रभाव आकलन क्रमबद्ध रूप से प्रस्तावित परियोजना के लाभकारी व प्रतिकूल दोनों ही परिणामों की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण प्रभावों व निवारणकारी उपायों का परियोजना डिजाइन में ध्यान रखा जाए। नई परियोजनाओं या कार्यकलापों अथवा विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकलापों के आधुनिकीकरण पर कुछ प्रतिबंध व निषेध लागू करके भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुरूप पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है।

पर्यावरण स्वीकृति व स्वीकृति उपरांत अनुश्रवण की निष्पादन लेखापरीक्षा पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय एवं तार्किक सहायता की पर्याप्तता, निर्धारित

प्रक्रिया के अनुरूप पर्यावरण स्वीकृति देने में दक्षता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता तथा पर्यावरण स्वीकृति उपरांत अनुश्रवण तंत्र की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से संचालित की गई थी।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

वित्तीय व तार्किक सहायता	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तकनीकी व वैज्ञानिक कर्मचारियों की 51 से 55 *प्रतिशत* तक कमी थी। **(परिच्छेद 2.2.6 (ii))**
पर्यावरण स्वीकृति देने में विलम्ब	नमूना परीक्षित 60 में से 19 मामलों में राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन आवेदन के मूल्यांकन में 14 दिनों से 2.9 वर्षों का विलम्ब था तथा 42 मामलों में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने में आठ दिनों से तीन वर्षों का विलम्ब था। **(परिच्छेद 2.2.7.1)**
दोषपूर्ण आयोजना एवं निष्फल व्यय	सोलन जिले में बायोटेक्नोलॉजी पार्क के लिए दोषपूर्ण आयोजना तथा संकल्पना के परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा 897 हरे वृक्षों के कटान से जैव विविधता में परिवर्तन आया। पार्क अभी भी स्थापित नहीं हुआ था। **(परिच्छेद 2.2.7.3)**
लोक सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करने में अनुश्रवण की कमी तथा चालन सहमति रहित प्रचालित परियोजनाएं	नमूना परीक्षित 20 परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं के परियोजना उन्नायकों ने जन सुनवाई के दौरान की गई प्रदूषण शमन उपायों की प्रतिबद्धताओं की अनुपालना नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, नौ परियोजनाओं के सम्बंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रचालन की सहमति की वैधता मार्च 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य समाप्त हो गई थी परंतु उनका प्रचालन अगस्त 2016 तक लगातार हो रहा था। **(परिच्छेद 2.2.8.1 तथा 2.2.8.2 (ii))**
ऑनलाइन अनुश्रवण स्टेशन उपलब्ध न करवाना तथा पर्यावरण अनुश्रवण स्टेशनों का अप्रतिष्ठापन	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषणकारी उद्योगों में निरंतर धुंआ उत्सर्जन तथा प्रवाह गुणवत्ता के लिए ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली स्थापित नहीं की थी। नमूना परीक्षित 20 में से 16 परियोजनाओं में परियोजना उन्नायकों ने वायु, ध्वनि व जल गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की क्योंकि न तो पर्यावरण स्वीकृति पत्र में संस्थापित की जाने वाली

	अनुश्रवण प्रणाली की संख्या का उल्लेख था और न ही परियोजना उन्नायकों द्वारा इन्हें प्रतिष्ठापित किया गया था।
	(परिच्छेद 2.2.9.2 तथा 2.2.9.3)
हरित पट्टी का विकास न करना तथा प्रतिपूरक वनीकरण एवं जलागम क्षेत्र उपचार योजना का क्रियान्वयन न किया जाना	परियोजना क्षेत्र में हरित पट्टी के विकास को सात चयनित परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदनों/ पर्यावरण स्वीकृति पत्रों में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था तथा तीन चयनित परियोजनाओं में प्रतिपूरक वनीकरण/ जलागम क्षेत्र उपचार योजना संचालित/ क्रियान्वित नहीं की गई थी यद्यपि वन विभाग के पास ₹ 18.77 करोड़ जमा किए गए थे।
	(परिच्छेद 2.2.10.1 से 2.2.10.3)

लोक निर्माण विभाग

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन एवं अनुरक्षण

राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार द्वारा विकसित व अनुरक्षित किए जाते हैं जिसका उद्देश्य यातायात के सुरक्षित व त्वरित/ मुक्त प्रवाह का राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 भारत सरकार के कतिपय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अधिकार देता है। राज्य में मार्च 2016 तक 2,003 किलोमीटर लम्बाई के 17 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं अनुरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं अनुरक्षण के लिए योजना की व्यापकता, निधियों के आवंटन एवं प्रयुक्ति की अर्थव्यवस्था एवं प्रभावशीलता, भारत सरकार के साथ अधिमानित दावों की समयबद्धता एवं उनके प्रति प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं अनुरक्षण के लिए निर्माण कार्यों के निष्पादन की अर्थव्यवस्था, दक्षता एवं प्रभावशीलता, निर्धारित समयावधि के अनुसार निर्माण कार्यों का निष्पादन/ पूर्णता और गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य के साथ संचालित की गई थी।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

उन्नयन संघटकों/ कार्यकलापों के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियां	2011-16 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति में 40 *प्रतिशत* की कमी थी।
	(परिच्छेद 2.3.5.4)
निधि-उपलब्धता के सापेक्ष व्यय	2011-15 के दौरान मूल निर्माण कार्यों के लिए ₹ 759.91 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष विभाग मात्र ₹ 590.71 करोड़ ही प्रयुक्त कर पाया परिणामतः ₹ 169.20 करोड़ की अल्प-प्रयुक्ति हुई।
	(परिच्छेद 2.3.6.2)

केबल बिछाने के लिए जमा निधियों का अनियमित अपवर्तन

विभाग ने, नियमों के तहत केन्द्रीय पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित करने के बजाय दूरसंचार कम्पनियों द्वारा क्षतियों के पुनर्स्थापन हेतु जमा निधियों से ₹ 1.20 करोड़ वाहनों के क्रय हेतु अपवर्तित कर दिये तथा ₹ 117.20 करोड़ निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत अनियमित रूप से रोक दिए। 1,316.655 किलोमीटर के राजमार्गों की क्षतियों का मार्च 2016 तक पुनर्स्थापन नहीं हुआ था।

(परिच्छेद 2.3.6.3)

निर्माण कार्यों की प्रास्थिति

मार्च 2016 तक पूर्णता हेतु निर्धारित ₹ 985.79 करोड़ की संस्वीकृति लागत के 119 निर्माण कार्यों के सापेक्ष मार्च 2016 तक ₹ 114.23 करोड़ के व्यय वाले 39 निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े थे।

(परिच्छेद 2.3.7.1)

उन्नयन के लिए परामर्श कार्य पूर्ण न करना

जुलाई 2011 तक पूर्णता हेतु छः राष्ट्रीय राजमार्गों के 'टू लेन' में उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए नियत ₹ 12.52 करोड़ में परामर्शदाताओं को प्रदत्त (मई–अगस्त 2010) छः कार्य जून 2016 तक ₹ 7.50 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अपूर्ण पड़े थे।

(परिच्छेद 2.3.7.2)

कार्यों के गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण और निरीक्षण टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि अधिशासी अभियंताओं ने निर्माण कार्यों के अपेक्षित गुणवत्ता परीक्षण/ निरीक्षण नहीं किए थे और वर्ष 2011–16 के दौरान 111 में से 74 निरीक्षणों में राज्य गुणवत्ता नियंत्रण संभाग द्वारा सूचित कमियों के सुधारार्थ कोई कार्रवाई करने में भी असमर्थ रहे।

(परिच्छेद 2.3.10.1 तथा 2.3.10.2)

राजस्व विभाग

हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिये तैयारी

हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें अनेक प्रकार की आपदाओं की आशंका बनी रहती है जिसके फलस्वरूप जान–माल की हानि हो सकती है। भारत सरकार द्वारा 33 प्रकार के चिह्नित खतरों में से राज्य में 25 प्रकार के खतरों की आशंका है। राज्य में भूकंप सम्बन्धी संवेदनशीलता की संभावना बहुत है तथा 12 जिलों में से सात जिलों में 25 *प्रतिशत* से अधिक क्षेत्र भूकम्पी जोन–V (अत्यधिक जोखिम जोन), में आते हैं। राज्य का शेष भाग भूकम्पी

जोन-IV (उच्च जोखिम जोन) के अंतर्गत आता है। वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य में होने वाली आपदाओं में वन एवं भवनों की आग से सम्बंधित 8,534 घटनाएं हुई जिनमें ₹ 451.30 करोड़ मूल्य की अनुमानित सम्पत्ति की हानि हुई। राज्य में वर्ष 2011-16 में होने वाली आपदाओं में कुल 6,345 व्यक्तियों की जानें गयी तथा 30,184 पशुओं की मौत हुई।

हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी की निष्पादन लेखापरीक्षा रणनीतिक एवं वार्षिक योजनाओं में आपदा प्रबंधन के समस्त मुख्य पहलुओं के प्रावरण, पूर्व-आपदा तैयारी एवं प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु संस्थागत तंत्र की स्थापना, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण की पर्याप्तता तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य के साथ संचालित की गई थी।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

संस्थागत ढांचा	राज्य आपदा प्रबंधन योजना/ जिला आपदा प्रबंधन योजना का वार्षिक अद्यतनीकरण जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में अपेक्षित था, नहीं किया गया था। राज्य के 41 मुख्य विभागों में से, 28 विभागों ने जून 2016 तक आपदा प्रबंधन योजनाएं नहीं बनाई थी। **(परिच्छेद 2.4.6.1)**
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निधियों का अनियमित उपयोग	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में से ₹ 18.96 करोड़ की राशि उन कार्यों के लिए अपवर्तित की गयी जो प्राकृतिक आपदा से सम्बंधित नहीं थे। **(परिच्छेद 2.4.7.3 (क))**
आपातकालीन संचालन केन्द्र एवं समुदाय आधारित तथा चिकित्सा आपदा तैयारियां	आपातकालीन प्रचालन केन्द्र अभी भी अनिवार्य सम्प्रेषण प्रणालियों से पूर्णतया सुसज्जित किये जाने थे और प्रत्येक जिले में गांव आपदा प्रबंधन समितियां स्थापित नहीं की गयी थी। चिकित्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को क्षमता निर्माण/ आपदा सम्बन्धी तैयारियों पर प्रशिक्षण जून 2016 तक नहीं दिया गया था। **(परिच्छेद 2.4.8.1, 2.4.9.2 तथा 2.4.9.3 (i))**
खतरा सुरक्षा कक्ष, निर्माण मानक एवं घरों की स्थिति तथा भूकंपीय दृष्टि से सुरक्षित भवन निर्माण सम्बंधी प्रशिक्षण	लाइफलाइन भवनों की, जो भूकंपीय क्रियाकलाप को रोक सके, पुन:संयोजन (रेट्रोफिटिंग) के लिए पहचान नहीं की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी भवनों/ घरों का निर्माण जून 2016 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था। इंजीनियरों, बिल्डरों तथा कारीगरों को भूकंपीय दृष्टि से सुरक्षित भवनों का निर्माण करने सम्बन्धी पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था। **(परिच्छेद 2.4.10.1, 2.4.10.2 तथा 2.4.10.3)**
भूकंप के जोखिम में कमी के लिए तकनीकी-कानून	45 डिग्री की अनुज्ञेय सीमा से ऊपर ढलान पर भवनों के निर्माण के अनुवर्तन सम्बन्धी तकनीकी-कानूनी व्यवस्था

व्यवस्था तथा लाइफलाइन संरचनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा लेखापरीक्षा	स्थापित नहीं की गयी थी। अनाधिकृत/ बेतरतीब निर्माणों के मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। लाइफलाइन भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा लेखापरीक्षा भी जुलाई 2016 तक नहीं की गयी थी। **(परिच्छेद 2.4.10.4 तथा 2.4.10.5)**
खंड/ ग्राम पंचायत स्तर पर अग्निशमन चौकियों की स्थापना तथा अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता	राज्य में 3,243 ग्राम पंचायतें थी। तथापि, मात्र 24 ग्राम पंचायतों में ही अग्निशमन चौकियां स्थापित की गयी थी। केवल 71 *प्रतिशत* अग्निशमन वाहन अच्छी स्थिति में थे। **(परिच्छेद 2.4.11.3 तथा 2.4.11.4)**

ग्रामीण विकास विभाग

समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम

भूमि, वनस्पतीय आवरण एवं जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, संरक्षण तथा विकासोन्मुख द्वारा पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने तथा वाटरशैड क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सतत् आजीविका प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा समेकित वाटरशैड प्रबन्धन कार्यक्रम को अप्रैल 2008 में आरम्भ किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम क्रियान्वयन की दोषपूर्ण आयोजना और निधियों के प्रयोग तथा स्कीमों की प्रगति बहुत धीमी पाई गई।

समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा इच्छित परिणामों की उपलब्धता हेतु योजना की व्यापकता, लागत एवं समय के भीतर वाटरशैड परियोजनाओं का कार्यन्वयन, परियोजना कार्यन्वयन की प्रभावशीलता एवं अर्थव्यवस्था, दिशा-निर्देशों के अनुसार परिचालन एवं अनुरक्षण तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य के साथ संचालित की गई थी।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

सापेक्ष एवं सामरिक योजना तथा निश्चित किये गये लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियां	सापेक्ष योजना को राज्य स्तर पर, खण्ड एवं जिला स्तर पर वाटरशैड विकास योजनाओं को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया था (जनवरी 2009)। 2009-16 के दौरान अपेक्षित 5.91 लाख हेक्टेयर भूमि को विकसित किये जाने के प्रति मार्च 2016 तक केवल 0.86 लाख हेक्टेयर (15 *प्रतिशत*) भूमि को विकसित किया गया था। **(परिच्छेद 2.5.6.1 तथा 2.5.8.2)**
निधियों की उपलब्धता एवं उससे व्यय	2011-16 के दौरान राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण के पास 38 से 87 *प्रतिशत* निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं। समेकित वाटरशैड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2013-14 के दौरान अपेक्षित 60 *प्रतिशत* निधियां खर्च न करने के कारण भारत सरकार द्वारा 2014-15 के दौरान निधियां जारी नहीं की गई। **(परिच्छेद 2.5.7.1)**

विकसित क्षेत्र के मूल अभिलेखों को न रखना

जिला वाटरशैड विकास अभिकरण, चम्बा, शिमला तथा सोलन और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किन्नौर ने 2011-16 के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के अन्तर्गत भूमि विकास पर ₹ 88.21 करोड़ व्यय किए थे परन्तु वास्तव में विकसित/ उपचारित क्षेत्र के साक्ष्य अभिलेख में नहीं रखे थे।

(परिच्छेद 2.5.8.3)

लागत मानकों का पालन न करना

वाटरशैड लागत मानकों का पालन न करने के कारण, सात परियोजनाओं में क्रियान्वयन अभिकरणों ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 7.59 करोड़ का व्यय अनुमत्य सीमा से अधिक किया।

(परिच्छेद 2.5.10.5)

परियोजनाओं का परस्पर व्यापन (ओवरलेपिंग)

सोलन जिला में, ₹ 8.06 करोड़ की लागत से विकास हेतु लक्षित 5,579 हेक्टयेर भूमि का परस्पर व्यापन वन विभाग द्वारा निष्पादित अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे क्षेत्र से किया गया।

(परिच्छेद 2.5.10.6)

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र प्रभावी नहीं था क्योंकि कार्यों का निरीक्षण, राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण की बैठकें तथा कार्यक्रम के विश्लेषण प्रभाव का संचालन, वांछित स्तर तक नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.5.12)

अनुपालना लेखापरीक्षा

वन विभाग

हिमाचल प्रदेश में वन भूमि का अतिक्रमण

2013-16 की अवधि के दौरान वन भूमि अतिक्रमण से सम्बंधित अभिलेखों की समीक्षा ने उजागर किया कि विभाग, भारतीय वन अधिनियम, 1971 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रवर्तन सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं था जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक राज्य में 43,086 मामलों से अंतर्ग्रस्त 9,545 हेक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण हुआ। सीमांकन हेतु लक्षित 20.63 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रति, 28 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिसमें अतिक्रमण करने के अवसर प्राप्त हुए, 11.04 लाख हेक्टेयर (54 *प्रतिशत*) का सीमांकन नहीं किया गया था। मार्च 2016 तक राजस्व तथा वन

न्यायालयों में 3,572 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण के कुल 15,409 मामले लंबित थे। खाली किए गए वन क्षेत्रों की घेराबंदी का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका था और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप घेराबंदी की लागत के प्रति ₹ 46.76 लाख अतिक्रमणकारियों से वसूल नहीं किए गए थे। विभाग ने स्थिति से निपटने हेतु की जा रही कार्रवाई को इंगित किए बिना बहुत सी कमियों का कारण फील्ड एवं राजस्व स्टाफ की कमी बताया था।

(परिच्छेद 3.2)

उच्च शिक्षा विभाग

छात्रवृत्तियों के संवितरण में अनियमितताएं

उच्च शिक्षा विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को ₹ 9.59 करोड़ की छात्रवृत्तियों का अनियमित संवितरण हुआ।

(परिच्छेद 3.3)

गृह विभाग

कारागारों में सुधार, पुनरुद्धार तथा अन्य सुविधाएं

कारागार विभाग ने बहुसंख्यक कैदियों को शिक्षा एवं पुनरूद्धार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए थे, इस प्रकार कैदियों को उनकी मुक्ति पर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कौशल एवं पात्रता के माध्यम से कैदियों के सुधार एवं पुनरूद्धार का मुख्य उद्देश्य विफल हुआ। 2013-16 के दौरान नमूना-जांच किये गए कारागारों में 1,116 कैदियों में से मात्र 69 कैदियों ने शैक्षणिक पात्रता प्राप्त की थी और मुक्त किए गए 786 कैदियों में से केवल 50 कैदियों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था। मॉडल कारागार नियमावली में परिकल्पित संस्थागत अवसंरचनाओं तथा प्रक्रियाओं की स्थापना नहीं की गई थी जिससे निर्णय क्षमता और राज्य के कारागारों में अपेक्षित सुविधाओं एवं अवसंरचना के प्रावधान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कारागारों में रिसेप्शन केन्द्रों के विद्यमान न होने से क्षय रोग, दाद-खाज, हृदय रोग तथा गुर्दे की समस्या सहित विभिन्न रोगों से ग्रस्त बहुसंख्यक कैदियों को अलग नहीं किया गया और उनको बैरकों में अन्य कैदियों के साथ रखा गया, जिससे अन्य कैदी भी

संभावित संक्रामक रोगों से ग्रस्त पाए गए। नमूना-जांच किए गए कारागारों में 809 में से विभिन्न रोगों से ग्रस्त 456 नये कैदी बैरकों में अन्य कैदियों के साथ रखे गए थे। चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त थीं और मानव उपयोग हेतु आपूरित जल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की जांच नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.5)

उद्योग विभाग

खनिजों के निष्कर्षण पर रॉयल्टी तथा ब्याज की वसूली न करना	उद्योग विभाग एक फर्म से खनिजों के निष्क्रर्षण हेतु ₹ 22.72 करोड़ की रॉयल्टी तथा ₹ 4.39 करोड़ के ब्याज की वसूली में विफल रहा। **(परिच्छेद 3.6)**

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

जल प्रभारों का निर्धारण तथा संग्रहण	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग सभी उपभोक्ताओं, दोनों घरेलू और वाणिज्यिक से जल प्रभारों की वसूली नहीं कर पाया था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व बकाया में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रभावशाली रूप से राज्य सरकार की जून 2005 की अधिसूचना में परिकल्पित गैर-मीटरीकृत वाणिज्यिक कनेक्शनों के जल प्रभारों के संशोधित न किये जाने के कारण और उपभोक्ताओं द्वारा मीटरों के स्थापित न किये जाने के कारण संभावित राजस्व की बड़ी हानि उठाई। **(परिच्छेद 3.7)**
नलकूपों की ड्रीलिंग के लिए रिग्ज़ के प्रापण पर अलाभकारी व्यय	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभिप्रेत क्षेत्रों में जहां उन्हें नियोजित किया जाना था स्थलाकृति एवं मृदा/ चट्टान रूपरेखा के संदर्भ में रिग्ज़ की विशिष्टताओं के पर्याप्त तकनीकी निर्धारण में कमी के परिणामस्वरूप रिग्ज़ का उपार्जन किया गया, जो उद्देश्य हेतु उपयुक्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने फर्म द्वारा वारंटी अवधि से सम्बंधित आपूर्ति आदेश की शर्तों की अनुपालना में प्रशिक्षित कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं तैनाती को लागू नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.24 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा फर्म से ₹ 19.82 लाख की सामग्री लागत की वसूली नहीं हुई। **(परिच्छेद 3.8)**

योजना विभाग	
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों की अनुचित संस्वीकृति एवं अवमुक्ति	योजना विभाग द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों की गैर-अनुपालना व वित्तीय सहायता की स्वीकार्यता की सीमा के सत्यापित करने में किसी भी तंत्र के अभाव होने के परिणामस्वरूप एक सोसायटी को ₹ 1.97 करोड़ की अधिक वित्तीय सहायता पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या द्वारा आवासित क्षेत्रों के लिए दी गई ₹ 2.50 करोड़ की निधियां अन्य क्षेत्रों को अवमुक्त की गई थी।
	(परिच्छेद 3.10)

राजस्व विभाग	
राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बेकार पड़े सर्वेक्षण उपकरणों पर अनुत्पादक व्यय	संविदाकार द्वारा संविदागत बाध्यताओं का देय निष्पादन लागू करने में और संविदा शास्तियां लगाने में राजस्व विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप बेकार उपकरणों पर ₹ 1.91 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ तथा ₹ 1.68 करोड़ अवरूद्ध रहे।
	(परिच्छेद 3.12)

लोक निर्माण, उद्योग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग	
बाधारहित स्थलों की पहचान/ उपलब्धता नहीं होने के कारण निर्माण कार्यों का निष्पादन न होना/ पूर्ण न होना	हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली एवं केन्द्रीय लोक निर्माण नियमपुस्तिका में की गई परिकल्पना के विपरीत सम्भाव्यता और बाधारहित भूमि सुनिश्चित किये बिना लोक निर्माण, उद्योग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण और युवा सेवाएं एवं खेल विभागों द्वारा निधियों के आहरण एवं कार्यकारी अभिकरणों को अवमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.57 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ और कार्यकारी अभिकरणों के पास एक से नौ वर्षों से अधिक के लिए ₹ 12.14 करोड़ का अवरोधन हुआ।
	(परिच्छेद 3.13)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	14,543	15,598	15,711	17,843	23,440*
(i) कर राजस्व	*4,108 (28)*	*4,626 (30)*	*5,121 (33)*	*5,940(33)*	*6,696 (29)*
(ii) कर-भिन्न राजस्व	*1,915 (13)*	*1,377 (9)*	*1,785 (11)*	*2,081(12)*	*1,837 (08)*
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	*1,999 (14)*	*2,282(14)*	*2,491 (16)*	*2,644(15)*	*3,611 (15)*
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	*6,521 (45)*	*7,313 (47)*	*6,314 (40)*	*7,178(40)*	*11,296 (48)*
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	-	-	650	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	25	21	17	41	26
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	14,568	15,619	15,728	18,534	23,466
5. लोक ऋण प्राप्तियां	1,984	3,371	4,050	10,877	6,129
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	16,552	18,990	19,778	29,411	29,595•
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	9,237	9,146	10,300	10,575	11,515
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	25,789	28,136	30,078	39,986	41,110
भाग खः व्यय/ संवितरण					
10. *राजस्व व्यय*	13,898	16,174	17,352	19,787	22,303
11. पूंजीगत व्यय	1,810	1,955	1,856	2,473	2,864
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	493	469	531	474	463
13. योग (10+11+12)	16,201	18,598	19,739	22,734	25,630
14. लोक ऋण की चुकौतियां	1,128	2,117	1,704	8,260	3,948
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	17,329	20,715	21,443	30,994	29,578
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	8,526	8,285	9,227	8,844	10,577
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25,855	29,000	30,670	39,838	40,155

* ₹ 23440.48 करोड़ • ₹ 29595.59 करोड़

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग ग: घाटा/ अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (–)/ राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641	(-)1,944	1,137♥
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165
22. प्राथमिक घाटा (–)/ अधिशेष (+) (21+23)	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,130	2,370	2,481	2,849	3,155
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	981	1,203	1,438	2,156	2,612
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष	--	-	11	125	31
26. अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष पर ब्याज	--	-	0.11	14.80	6.40
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	72,720 (--)	82,294 (13.16)	92,589 (12.51)	1,01,108 (9.20)	1,10,511 (9.30)
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	28,228	30,442	33,884	38,192	41,197
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,316	3,353	4,333	4,281	3,714
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,208	9,455	9,316	9,316	9,658
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	13	12	12	13	12
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	930	115	130	141	143

♥ ₹ 1137.67 करोड़

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।